न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 212/2023

संतोष कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत आयु 50 साल निवासी जयपुर राज. हाल निवासी शेवापेट, तमिलनाडू 636002

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भंवरा जाति अहीर यादव
2. भींवडा पुत्र भंवरा जाति अहीर यादव
   2/1 ग्यारसी पत्नी भींवडा
   2/2 पप्पू पुत्र भींवडा
   2/3 लाली पुत्री स्व. भींवडा
   सर्व जाति अहीर जाति यादव सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
3. श्रीकिशन पुत्र स्व. गोकल जाति अहीर
4. रोडू पुत्र स्व गोकल जाति अहीर(यादव) बालिग
5. धूकल पुत्र स्व. गोकल जाति अहीर(यादव) बालिग
6. गोपाल पुत्र स्व. गोकल जाति अहीर(यादव) बालिग
7. पांचू पुत्र स्व. गोकल जाति अहीर(यादव) बालिग
8. नारायणी पत्नि स्व. गोकल जाति अहीर(यादव) बालिग
   सर्व निवासीगण ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राज0
9. श्योनारायण पुत्र भंवरा जाति अहीर (यादव) बालिग निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
10. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील कार्यालय किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थीया के स्वामित्व, आधिपत्य [illegible] काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन, भू अभिलेख निरी[illegible] पाटन, तहसील किशनगढ [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 378 के खसरा संख्या 947 / 496 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950 / 499 क्षेत्रफल 0.3236 हैक्टेयर खसरा संख्या 971 / 499 क्षेत्रफल 0.2832 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.6416 हैक्टेयर है उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 947 / 496, 950 / 499, 971 / 499 के पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण(चारो दिशाओ) में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीया ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि पर काबिज काश्त होकर काश्त करती करवाती चली आ रही है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र मे वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढ को दिया गया था जिस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 22.06.2023 को तैयार किया गया था। मौके पर पडौसी खातेदार असंतुष्ट हुए। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करती, करवाती चली आ रही है तथा प्रार्थीया के द्वारा सीमाज्ञान करवाने के पश्चात भी प्रार्थीया व पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सींव मेड(सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है इस कारण प्रार्थीया अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 947 / 496, 950 / 499, 971 / 499 की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीया एवं अडौस-पडौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ सकता है वाद बाहुल्यता को बढावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशाानियों से बचने के लिए तथा पडौसी खातेदारो से विवाद नही हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थीया मौके पर काबिज काश्त करती, करवाती चली आ रही है तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेसे में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीया व अप्रार्थीगण पडौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थीया की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

अतः श्रीमान निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णित प्रार्थीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 378 के खसरा संख्या 947/496 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टेयर खसरा संख्या 950/499 क्षेत्रफल 0.3236 हैक्टेयर खसरा संख्या 971/499 क्षेत्रफल 0.2832 हैक्टेयर कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.6473 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीया के पक्ष मे प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2023 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.05.2024 को अप्रार्थी सं0 1 व 3 से 9 को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई, अप्रार्थी संख्या 2 के विधिक वारिसानो को नोटिस जारी किये गये किन्तु बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.09.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 14.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 10, 11 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा वादअधीन भूमि पर पत्थरगढी हेतु अन्नापत्ति जाहिर की।

दिनांक 16.11.2024 को हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम पाटन खाता संख्या 378 के खसरा संख्या 947/496 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950/499 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 971/499 रकबा 0.2832 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6473 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी से ताईद है कि उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थीगण की भूमि नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से लगती हुई है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा पाटन खाता संख्या 378 के खसरा संख्या 947/496 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 950/499 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा संख्या 971/499 रकबा 0.2832 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6473 हैक्टैयर [illegible] मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested

...के वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/– रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार अरांई को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें तथा पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:06 IST
Reason: SelfAttested